न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या......80....../2025

कुना राम गोदारा बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक वास्ते रिकार्ड दुरूस्ति अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
व अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक 22/7/25

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी कुना राम गोदारा पुत्र काना राम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक दावा घोषणात्मक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तेनदेसर तह. बीदासर के खसरा संख्या 313, 423, 425 तादादी 39.1027 हेक्टेयर भूमि के 1/3 हिस्सा पांति भूमिखेत में वादी के पिता का नाम कानाराम पुत्र भगवानाराम निवासी सडू छोटी अंकित है, जिसमे जाति अंकित नही है, जो कि गलत है, जबकि वादी के पिता का सही नाम कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी है। प्रतिवादीगण 1 वा गौण प्रतिवादीगण 2 ता 14 को जरिए नोटिस तलब किया गया, गौण प्रतिवादीगण 2 ता 14 बावजूद तामील के उपस्थित नही होने के कारण से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है, वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपने पिता का पूर्व राजस्व रिकार्ड सम्वत 2043 से लेकर अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2074–77 तक प्रस्तुत किया जिसमें कानाराम पुत्र भगवानाराम बजाय वादी के पिता का सही नाम कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी अंकित है, अतः वादी के पिता का नाम कानाराम पुत्र भगवानाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी किया जाना उचित प्राप्त होता है।

—: आदेश :—

अतः भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 व 136 के तहत को स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम तेहनदेसर तह. बीदासर के खसरा संख्या 313, 423, 425 तादादी 39.1027 हेक्टेयर भूमि के 1/3 हिस्सा पांति भूमिखेत में वादी के पिता का नाम कानाराम पुत्र भगवानाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी दर्ज कर वर्तमान रिकार्ड दुरूस्ति के आदेश दिये जाते है. तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपी पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/7/25 को मेरे द्वारा लिखवा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू